POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 27.10.2025

1.थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा मंदिर में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 सिल्ली सफेद धातु(करीब 3.5 किलोग्राम), अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 27.10.2025 को थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मंदिर में चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. राजू सिंह उर्फ सोनू पुत्र चतर सिंह 2. सदाशिव पुत्र राजा राम को वीडियोकोन चौराहा सेक्टर-11 नोएडा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 05 मटमैली सफेद धातु जिनका वजन करीब 03 किलो 540 ग्राम, अभियुक्त राजू सिंह उर्फ सोनू के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0-DL10AA9570 व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

घटनाक्रम का विवरण-- पूछताछ करने पर अभियुक्त राजू सिंह उर्फ सोनू द्वारा बताया गया कि मैं अक्सर मंदिरों की रैकी कर वहाँ लगे आभूषण चोरी करता हूँ। उसने बताया कि करीब 10–12 दिन पहले वह सेक्टर-12, नोएडा में बने एक मंदिर से शिवलिंग पर लगे छत्र एवं अन्य मूर्तियों पर लगे चांदी के आभूषण चोरी कर चुका है। चोरी करके मिले पैसों से अभियुक्त अपना जीवनयापन तथा दैनिक आवश्यकताएँ पूरी करता है। बरामद मोटरसाइकिल रजि0नं0- DL10AA9570 के संबंध में पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल उसकी पत्नी के नाम पर दर्ज है। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि इसी मोटरसाइकिल से वह मंदिरों की रैकी कर चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त होता था और यह मोटरसाइकिल उसने चोरी से प्राप्त राशि से खरीदी है। अभियुक्त ने यह भी बताया कि अधिकांश चोरी किया हुआ माल वह सदाशिव के पास ही गलवाने ले जाता है तथा सदाशिव अक्सर उसे सिल्ली बनाकर वापस दे देता है। अभियुक्त ने कहा कि जो चाकू उसके पास बरामद हुआ है, वह उसे घटना के समय अपनी सुरक्षा हेतु रखता था।

दूसरे अभियुक्त सदाशिव से भी पूछताछ की गई। सदाशिव ने बताया कि वह सोना-चांदी गलाने का व्यवसाय करता है तथा उसकी दुकान मोहल्ला फैजगंज, जिला मुरादाबाद में स्थित है। उसने स्वीकार किया कि राजू सिंह (उर्फ सोनू) अक्सर चोरी का माल उसे गलवाने के लिए लाता है। अधिक लाभ की लालसा में वह चोरी के माल को गलाकर सिल्ली बनाकर राजू को दे देता है। करीब 10 दिन पूर्व भी राजू सिंह ने चांदी के मंदिर आभूषण उसे दिए थे, जिन्हें उसने गलाकर सिल्ली बनाकर देने के इरादे से लाया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. राजू सिंह उर्फ सोनू पुत्र चतर सिंह निवासी पूर्वी विनोद नगर, थाना कल्याणपुरी दिल्ली, उम्र करीब 42 वर्ष।
2. सदाशिव पुत्र राजा राम निवासी मौहल्ला फैजगंज, थाना मुगलपुरा, मुरादाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 448/2025 धारा 305(डी)/317(2) /112(2)/61(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-24 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त राजू सिंह उर्फ सोनू का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0- 474/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-24 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 037/2025 धारा 305/317(2)/331(3) बीएनएस, पश्चिम सेक्टर-11 चण्डीगढ़।

बरामदगी का विवरण--

1. 05 सिल्ली सफेद धातु (करीब 3.5 किलोग्राम)
2. 01 अवैध चाकू
3. घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0- DL10AA9570

2.थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा 01 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 1.5 करोड़ कीमत की 03 किलो ड्रग्स (चरस) बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 27.10.2025 थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व गोपनीय सूचना की सहायता से ड्रग्स की तस्करी करने वाले अभियुक्त शुभम कुमार पुत्र राकेश कुमार को सेक्टर-59 मेट्रो स्टेशन से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से लगभग 1.5 करोड़ कीमत की 03 किलो ड्रग्स (चरस) बरामद की गई है।

घटनाक्रम का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त शुभम कुमार द्वारा बताया गया कि वह अपने साथी वैभव के साथ मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में सस्ते दामों पर चरस (हैश) लाता है तथा उसे दिल्ली-एनसीआर एवं आस-पास के क्षेत्रों में महंगे दामों बेच कर मोटा मुनाफा कमाता है तथा प्राप्त धनराशि को अभियुक्त शेयर मार्केट में निवेश कर शीघ्र अमीर बनने की लालच में इस प्रकार के अपराध को अंजाम देते हैं। अभियुक्त शुमभ कुमार द्वारा बताया गया कि वह वैभव के कहने पर पहली बार ड्रग्स (चरस) की सप्लाई करने नोएडा आया था। अभियुक्त के अन्य साथ वैभव के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्र करते उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. शुभम कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी अशोकपुरी, थाना कंकरखेडा, मेरठ वर्तमान पता आम्रपाली गोल्फ होम्स, सेक्टर-04 नोएडा, उम्र 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0-390/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. लगभग 1.5 करोड़ कीमत की 03 किलो ड्रग्स (चरस)